

दिनांक 18.09.2014 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— द्वितीय वृत्त, मेरठ / मेरठ जोन, मेरठ

दिनांक—01-10-2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	श्रीमती शशी प्रभा, पता: 6398 ईस्ट राहताश नगर दिल्ली-32, मो० नं०-09810631422	भूखण्ड सं०—2/309 माधवपुरम में कम भूमि की धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।		02	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3739 दिनांक 07.11.14 द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि "आपके पत्र दिनांक 17.12.13 द्वारा स्थल पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 30.80 व०मी० कम हो जाने की सूचना दिये जाने के पश्चात खण्ड कार्यालय से पुष्टि के उपरान्त कम हुए क्षेत्रफल की धनराशि रु० 80,893.00 का चैक संख्या-478713 दिनांक 18.9.14 को कार्यालय पत्रांक 3332 दिनांक 19.9.14 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। पुनः अवगत कराना है कि नियमानुसार उक्त धनराशि का ब्याज का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। अतः तदानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।"	निस्तारित
2	श्री मुंशीराम द्वारा श्री प्रमोद त्यागी, पता: 105/2 पंचशील कालोनी गली नं०-4 गढ़ रोड मेरठ, मो० नं०-9997904300	भवन/भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में (विस्थापित)		02	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3766 दिनांक 07.11.14 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि "उक्त आवासीय भूखण्ड सं०-बी-12ए का निस्तारण आवंटन के माध्यम से ही किया जाना है। वर्तमान में यो० सं०-7, शास्त्रीनगर मेरठ में भविष्य में आवंटन/नीलामी प्रस्तावित होने पर परिषद नियमानुसार आवंटन/नीलामी में भाग ले सकते हैं। अतः परिषद दिवस दिनांक 18.9.14 में दिया गया प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।"	निस्तारित
3	श्री राजेन्द्र कुमार, पता: आशुलिपिक सप्तम वृत्त उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मो० नं०-09911378973	दिनांक 29.12.2005 को हुए लॉटरी ड्रा में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद द्वारा त्रुटिवश नाम न डाले जाने के कारण वसुन्धरा गाजियाबाद में आवासीय भूखण्ड आवंटित न होने के सम्बन्ध में।		02	स०प्र० गाजियाबाद के पत्रांक 12219 दिनांक 12.11.14 द्वारा सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है कि मुख्यालय के निर्णय से पूर्व में ही पत्रांक 6352 दिनांक 28.5.13 द्वारा अवगत कराया जा चुका है तथा वर्तमान में गाजियाबाद में परिषद द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार योजना में ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव में एक नग फ्लैट आवंटित किया जा चुका है। अतः तदानुसार प्राप्त प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
4	श्री भगवान सहाय पता: 02 कुटी शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०-9760154324	विस्थापित कोटे में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.88 पर आवास एम०आइ०जी० व एच०आई०जी० आवंटित करने के सम्बन्ध में।	क्रमांक-5 दिनांक 21.08.14	02	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3767 दिनांक 07.11.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि "आपके द्वारा मध्यम आय वर्ग भवन सं०-एल-1618 के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त भवन स्टाफ क्वार्टर के रूप में आरक्षित है, जिसका निस्तारण नीलामी के माध्यम से ही किया जाना है।	निस्तारित

5	चौ० नरेन्द्र सिंह, पता: ग्राम कुटी शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०-9760154324	सामुदायिक केन्द्र सैक्टर-07 निकट बिजलीघर शास्त्रीनगर को लीज पर लेने के सम्बन्ध में।	02	सम्पत्ति कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3382 दिनांक 22.9.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि परिषद नियमों व विनियमों में सामुदायिक केन्द्र लीज पर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः परिषद दिवस दिनांक 18.9.14 में प्राप्त आपके प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।	निस्तारित
6	श्री रमेश चन्द्र जोशी, पता: 315/2 जागृति विहार मेरठ, मो० नं०-9808372202	सेवानिवृत्ति उपरान्त अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।	02	खण्ड के पत्रांक 1914/ जी-19/ 16 दिनांक 22.9.14 द्वारा वित्त नियंत्रक महोदय, लखनऊ से अनुरोध करते हुए अवगत कराया है कि कार्यवाही सी०पी०एफ०/ ग्रेच्युएटी अनुभाग लखनऊ से वांछित है। यह भी अवगत कराना है कि मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रश्नगत प्रकरण सेवा सम्बन्धी होने के कारण परिषद दिवस से आच्छादित नहीं है।	निस्तारित
7	श्री कमरुद्दीन, पता: सैक्टर-13 दुकान नं०-65 शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०-9412365115	योजना संख्या-7 सैक्टर-13 में पार्क एवं सड़क पर पानी भरने के सम्बन्ध में।	02	अधिकांसी अभियन्ता निर्माण खण्ड-8 मेरठ के पत्रांक 1998/ जी-19/ 30 दिनांक 07.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि सैक्टर-13 के व्यावसायिक क्षेत्र, जहां पानी भरा था, में पानी की लीकेज ठीक करा दी गयी है तथा सीवर की सफाई भी करा दी गयी है। वर्तमान में कोई सीवर सफाई व पानी की लीकेज शेष नहीं है।	निस्तारित
8	श्री प्रवीन कुमार गौतम, पता: जी-21/14 शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०-09917020077	अवशेष गृहकर के सम्बन्ध में।	02	अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 मेरठ के पत्रांक 1411/ जी-16/ 52 दिनांक 07.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि "भवन का भौतिक कब्जा लेने की तिथि 12.11.2007 से वर्ष 2013-14 तक के गृहकर की धनराशि रू० 1960.00 आपके द्वारा जमा की जानी है तथा उससे पूर्व की अवधि का गृहकर परिषद द्वारा जमा किया जाना है। अतः आप रू० 1960.00 खण्डीय कार्यालय में जमा करा दें ताकि खण्ड द्वारा गृहकर के बिल का भुगतान किया जा सके।"	निस्तारित
9	डा० शिशिर गुप्ता, पता: 19 रायजाद गान पुरानी तहसील मेरठ, मो० नं०-9412629406	ग्राम कमालपुर में स्थित खसरा सं०-48 के मुआवजे के सम्बन्ध में।	02	खण्ड के पत्रांक 1931/ जी-19/ 22 दिनांक 26.9.14 द्वारा आवेदक को लिखा गया है कि राजस्व अभिलेखों में ग्राम कमालपुर के खसरा सं०-48 में उनका नाम अंकित नहीं है तथा न ही उनके द्वारा उक्त भूमि में क़य किये गये भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई अधिकार पत्र ही प्रस्तुत किया है, जिसके अभाव में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। कथित क़य किये गये भूखण्ड के सम्बन्ध में अधिकार पत्र/ तहसील कार्यालय से उक्त भूखण्ड के चिन्हांकन की रिपोर्ट नजरी नक्शा के साथ प्रस्तुत करने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।	निस्तारित
10	श्री ब्रजमोहन गुप्ता, पता: 1834 इन्दिरा नगर प्रथम मेरठ, मो० नं०-9259203040	ग्राम सरायकाजी में स्थित खसरा सं०-241 के प्रतिकर के सम्बन्ध में।	02	खण्ड के पत्रांक 1953/ जी-19/ 27 दिनांक 29.9.14 द्वारा आवेदक को वांछित प्रपत्रों सहित भूमि के करार हेतु खण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों की जांचोपरान्त आपसी समझौते के आधार पर भूमि का करार करते हुए प्रतिकर भुगतान वितरण सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया।	निस्तारित

11	श्री सन्तोष कुमार, पता: 76/4 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9410030721	ओपन स्पेस की परिभाषा एवं इसके मार्गों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में।		02	वास्तुकला एवं नियोजन इकाई प्रथम लखनऊ के पत्रांक 2083 दिनांक 24.9.14 द्वारा वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी है।	निस्तारित
12	श्री जगमोहन सिंह नेगी, पता: 107/8 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0-9528367109	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों के परिषद में सेवाकाल में मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।	क्रमांक-7 दिनांक 21.08.14	तत्काल	मा0 परिषद की बैठक दिनांक 28.07.14 में लिये गये निर्णयानुसार मुख्यालय स्तर से शासन को सन्दर्भित है। शीघ्र कार्यवाही हेतु वृत्त के पत्रांक 2152/ई-10/193 दिनांक 18.09.14 द्वारा मुख्यालय से अनुरोध कर लिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रश्नगत प्रकरण सेवा सम्बन्धी होने के कारण परिषद दिवस से आच्छादित नहीं है।	निस्तारित
13	श्री हाजी अब्बास, पता: 14 कैला, कैलाश नगर गाजियाबाद, मो0 नं0-09958545513	नामान्तरण के सम्बन्ध में।	क्रमांक-9 दिनांक 21.08.14		उत्तराधिकारी के निर्धारण हेतु उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के आदेश संख्या 8775/दिनांक 06.11.2013 द्वारा सक्षम न्यायालय से प्रमाण पत्र निर्गत कराकर प्रस्तुत करने हेतु सभी पक्षकारों को सूचित किया जा चुका है, तदानुसार प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
14	श्री ओम प्रकाश यादव, पता: जी-13/8 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9760087387	भवन सं0-जी-13/8 शास्त्रीनगर के विरुद्ध अवशेष बिजली के भुगतान के सम्बन्ध में।		02	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 1410/जी-16/ 51 दिनांक 07.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उक्त भवन के गृहकर के कब्जे के बाद की धनराशि रु0 976.00 स्वयं आवंटी को जमा करने है तथा इससे पूर्व की धनराशि परिषद द्वारा जमा की जानी है। साथ ही सन्दर्भित आवेदन पत्र में इंगित भवन सं0-15/ 6 व जी-41 के अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सूचित किया गया है।	निस्तारित
15	श्री सौराज सिंह, पता: 483 शेरगढ़ी शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9760725844	स्व0 श्री बाबूलाल की ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।		तत्काल	वित्त नियन्त्रक के कार्यालय आदेश संख्या-3317/जी0पी0एफ0 एवं पेंशन अनुभाग दिनांक 15.09.14 द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है जिसकी सूचना दूरभाष संख्या-9760725844 पर भी श्री सौराज सिंह को दे दी गई है। यह भी अवगत कराना है कि मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रश्नगत प्रकरण सेवा सम्बन्धी होने के कारण परिषद दिवस से आच्छादित नहीं है।	निस्तारित
16	डा0 यतेन्द्र कुमार, पता: 765/6 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0-9456419777	भवन सं0-732/6 से 734/6 के सामने रोड निर्माण के सम्बन्ध में।		02	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 1531/जी-15/ 85 दिनांक 10.11.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि यो0सं0-6 जागृति विहार मेरठ की समस्त वाहीय सेवायें यथा:- सड़कें, सीवर, पार्क, नालियाँ आदि रख-रखाव हेतु काफी समय पूर्व ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं, जिसमें सड़कें आदि की मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है, तथापि वर्तमान में सैक्टर-6 में अवस्थापना मद के अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः आपका प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित

17	श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश परीक्षित, पता: 528/9 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0-9410031156	जागृति विहार योजना सं0-11 में अर्जित भूमि के बदले भूखण्ड देने के सम्बन्ध में।		02	खण्ड के पत्रांक 1933/ जी-192 23 दिनांक 26.9.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्राविधान नहीं है। खसरा सं0-6349 की परिषद द्वारा अर्जित भूमि का करार परिषद से करने पर जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर के अनुसार भुगतान किये जाने का प्राविधान है। अन्यथा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत एवार्ड घोषित होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।	निस्तारित
18	श्री रजत अरोड़ा, पता: जी-107 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9319309798	भवन सं0-661 के सम्बन्ध में।		02	खण्ड के पत्रांक 1947/ जी-19/ 24 दिनांक 29.9.14 द्वारा सूचित किया गया कि पत्र में किसी समस्या का उल्लेख न करने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।	निस्तारित
19	श्री नवनीत कुमार गुप्ता, पता: 403/4 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-09837749191	जागृति विहार योजना संख्या-6 में आवंटित भू0 सं0-796/4/7 के स्थान पर अन्य भूखण्ड देने के सम्बन्ध में।		02	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3768 दिनांक 07.11.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि वर्तमान में उक्त भूखण्ड रिक्त नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
20	श्री सुदीप वर्मा एवं अन्य, पता: सी-35 ए0 डब्लू0एच0ओ0 कालोनी मवाना रोड मेरठ, मो0 नं0-09927008636	भूखण्ड सं0-ई-6 शास्त्रीनगर मेरठ के मिश्रित भूउपयोग के सम्बन्ध में।		तत्काल	मेरठ नगर में संचालित योजना संख्या-3 मेरठ तेजगढ़ी चौराहे से हापुड़ मार्ग को जोड़ने वाली 45 मी0 चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू-उपयोग अनुमन्य किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमति हेतु संयुक्त आख्या वृत्त के पत्रांक 2151/ जी-13/ दिनांक 18.9.14 द्वारा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव महोदय लखनऊ को प्रेषित।	निस्तारित
21	श्री आजाद अली चौहान, पता: मकान नं0-618 सैक्टर-11 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9319546512	मकान नं0-618 सैक्टर-11 शास्त्रीनगर मेरठ के सामने वाला पार्क की बाउण्ड्री वॉल एवं सम्पूर्ण विकास कराने हेतु।		02 सप्ताह	अधिशाली अभियन्ता,निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1997/ जी-19/ दिनांक 07.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि "यो0सं0-7 के सैक्टर-11 के पार्क, सड़क आदि समस्त जन-सेवाओं को परिषद द्वारा वर्ष-1990 में नगर निगम, मेरठ को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम, मेरठ द्वारा ही की जानी है। इस विभाग द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत उक्त कार्य मण्डलायुक्त (म0), मेरठ द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जा सकते हैं। आर0टी0ओ0 पुल के पास सड़क में हुए गड्ढों को ठीक कराने का कार्य परिषद द्वारा कराया जा रहा है।"	निस्तारित
22	श्रीमती प्रवीन रानी, पता: 66/4 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0-9319648776	अतिरिक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।		02 सप्ताह	स0प्र0 कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3333 दिनांक 19.9.14 द्वारा आवेदिका को वांछित प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है तथा सूचित किया गया है कि प्रपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त ही नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी तथा परिषद नियमानुसार आपके पक्ष में नामान्तरण होने से पूर्व अतिरिक्त भूमि के आवंटन हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।	निस्तारित

23	श्री श्रीपाल सिंह, पता: 331/1 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0-9359065992	खसरा सं0-62 ग्राम सरायकाजी के अविधिक अधिग्रहण के सम्बन्ध में।		02 सप्ताह	खण्ड के पत्रांक 1948/ जी-19/ 25 दिनांक 29.9.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि परिषद की योजना सं0-11 जागृति विहार विस्तार हेतु भूमि अर्जन के लिये परिषद अधिनियम की धारा-28 की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 01 जून, 2002 व धारा-32 की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 19 मई, 2007 को सरकारी गजट में प्रकाशित कराया गया है, जिसमें ग्राम-सरायकाजी के खसरा संख्या-62 की कुल भूमि 0.152 हैक्टेयर भी अधिसूचित है।	निस्तारित
24	श्री श्रीपाल सिंह, पता: 279/2 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0-9359065992	खसरा संख्या-145/2, 164, 165 एवं 148, 308/2, 207/2 ग्राम सरायकाजी के अविधिक अधिग्रहण के सम्बन्ध में।		02 सप्ताह	खण्ड के पत्रांक 1949/ जी-19/ 26 दिनांक 29.9.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि परिषद द्वारा जिस भूमि का अर्जन किया गया है वह विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है।	निस्तारित
25	श्री आनन्द पाल, पता: ग्राम पहाड़पुर थाना मवाना मेरठ, मो0 नं0-9412357716	सेवाये नियमित करने एवं वेतनमान दिलाने के सम्बन्ध में।		02 सप्ताह	मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रश्नगत प्रकरण सेवा सम्बन्धी होने के कारण परिषद दिवस से आच्छादित नहीं है।	निस्तारित